रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 1987/ज्यैष्ठ 20, 1909
No. 287] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 1987/JYAISTHA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) उद्योग का कार्यालय

नई दिल्ली, 10 जून, 1987

आदेश

का.आ. 571(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय

के आदेश सं. 131 (अ), तारीख 28 फरवरी, 1984 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी मे, क्रम सं. 1, 3 और 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् .—

सारणी

क्र.सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत
1	2	3	4	5
1.	ट्रिमिथोप्रिम + सल्फामिथोक्साजोल गोलियां	ट्रिमिथोप्रिम 80 मि. ग्रा. + सल्फामिथोक्साजोल 400 मि.ग्रा. प्रति गोली	—10 × 10 के स्ट्रिप	58.61
3.	ट्रिमिथोप्रिम + सल्फामिथोक्साजोल पेड ससपेंशन	ट्रिमिथोप्रिम 40 मि. ग्रा. + सल्फामिथोक्साजोल 200 मि. ग्रा., प्रति 5 मि. लि.	—50मि. लि. की बोतल	7.18
			100 मि. लि. की बोतल	12.27
7.	ट्रिमिथोप्रिम + सल्फामोक्सोल ससपेंशन	ट्रिमिथोप्रिम 40 मि. ग्रा. + सल्फामोक्सोल 200 मि. ग्रा. प्रति 5 मि. लि.	50 मि.लि. की बोतल	6.50

टिप्पण—मूल आदेश भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(ii), तारीख 28 फरवरी, 1984 के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित किया गया था, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 131(अ) तारीख 28 फरवरी, 1984, देखिए ।

[सं. 9(43)/86-पी I (II)]
[9(45)/86-पी I(II)]

डॉ. बी. के. शंकरन, निदेशक (औषधि उद्योग)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner

(Pharmaceutical Industry)

New Delhi, the 10th June, 1987

ORDER

S.O. 571(E):—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of Government of India in the erstwhile Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S. O. 131(E), dated the 28th February, 1984: namely:—

In the table below the said Order, for serial numbers 1, 3 and 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted namely:—

TABLE

1	2	3	4	5
1.	Trimethoprim + Sulphamethoxazole tablets	Trimethoprim 80mg + Sulphamethoxazole 100mg. per tab.	10 x 10's Strip	58.61
3.	Trimethoprim + Sulphamethoxazole Paed. Suspension	Trimethoprim 40mg. + Sulphamethoxazole 200mg per 5ml	50ml bottle	7.18
			100ml bottle	12.27
7.	Trimethoprim + Sulphamoxole Paed. Suspension	Trimethoprim 40mg + Sulphamoxole 200mg per 5ml.	50 ml bottle	6.50

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3(ii) dated 28th Feburary, 1984 at pages 1-2 vide Government notification, Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 131(E), dated 28th February, 1984.

[No. 9(43)/86-PI (II)]

[9(45)/86-PI (II)]

Dr. D. K. SANKARAN, Director (Pharmaceutical Industry)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987